[2019] 6 एस. सी. आर 590

श्रीराम तोमर और एक और ETC।

वी.

प्रवीण कुमार जग्गी और अन्य

(सिविल अपील सं। 3603-07 2019 का)

अप्रैल 09,2019

[L.NAGESWARA आर. ए. ओ. और एम. आर. शाह, जे. जे.]

सेवा कानूनः पदोन्नति-कनिष्ठ प्रबंधन स्केल II का पद-पदोन्नति के लिए मानदंड-वरिष्ठता-सह-योग्यता-लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर चयन का तरीका

स्केल I में अधिकारी के रूप में पिछले पांच वर्षों के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट -

उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में दो भागों में उपस्थित होना था-नियमों के अनुसार, जिन उम्मीदवारों ने प्रत्येक भाग में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे, उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना था-जहां तक साक्षात्कार और प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट का संबंध है।

पांच साल की सेवा, नियमों के तहत, कोई न्यूनतम योग्यता अंक प्रदान नहीं किए गए थे-हालाँकि, चयन समिति ने साक्षात्कार के साथ-साथ न्यूनतम 12 अंकों का बेंच मार्क भी निर्धारित किया था।

प्रदर्शन मूल्यांकन (प्रत्येक) और निर्णय लिया कि केवल वे

जिन उम्मीदवारों ने साक्षात्कार के साथ-साथ प्रदर्शन मूल्यांकन में कम से कम सभी 24 अंक प्राप्त किए हैं, उनके लिए विचार किया जाएगा।

पदोन्नति-तदनुसार, इस मानदंड के आधार पर पदोन्नति आदेश दिया गया था-रिट याचिकाकर्ताओं ने इसे इस आधार पर चुनौती दी कि तीन सफल उम्मीदवार उनसे जूनियर थे और चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं ने लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए थे और वरिष्ठ थे, इसलिए उन्हें स्केल II के पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिए था-पदोन्नति को इस आधार पर भी चुनौती दी गई थी कि साक्षात्कार और प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में प्राप्त किए जाने वाले योग्यता अंकों को और तय किया जाए, अर्थात। , 12 साक्षात्कार और प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रत्येक में प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम अंक

और इस तरह के मानदंड तय करने से वरिष्ठता सह-योग्यता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कहा कि साक्षात्कार में न्यूनतम 12 अंक प्राप्त करने के लिए योग्यता अंक/बेंचमार्क तय करना और प्रदर्शन मूल्यांकन की अनुमति नहीं है और इसने वरिष्ठता सह-योग्यता के सिद्धांत को विफल कर दिया है और इसलिए, 100 में से न्यूनतम आवश्यक कट ऑफ योग्यता अंक निर्धारित करके एक नई पदोन्नति सूची तैयार करने का निर्देश दिया ताकि वरिष्ठता सह-योग्यता के नियम को लागू किया जा सके-डिवीजन बेंच, न केवल

590 श्रीराम तोमर और एक और ई. टी. सी. प्रवीण कुमार जग्गी और अन्य

अपीलों को खारिज कर दिया, लेकिन एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देशों को भी दरकिनार कर दिया और प्रतिष्ठान को नए सिरे से संचालन करने का निर्देश दिया

पदोन्नति के लिए अभ्यास-इसलिए तत्काल अपील-आयोजितः एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि साक्षात्कार में प्राप्त किए जाने वाले योग्यता अंक निर्धारित किए जाएं और प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत का उल्लंघन करेगी-क्योंकि जूनियर मैनेजमेंट स्केल II के पद पर पदोन्नति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की जानी है, केवल आवश्यकता यह है कि यह पाए जाने के बाद कि उम्मीदवारों के पास न्यूनतम आवश्यक योग्यता है, अर्थात् लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत योग्यता अंक और साक्षात्कार और प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में 20 अंकों में से प्रत्येक में न्यूनतम 12 अंक हैं।

उम्मीदवारों को क्रमशः वरिष्ठता के क्रम में पदोन्नत किया जाएगा, चाहे उनमें से किसी ने भी अधिक प्राप्त किया हो।

अंक-इसे देखते हुए, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और प्रत्यर्थी-प्राधिकरण को तदनुसार पदोन्नति के लिए एक नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाता है-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति) नियम, 1998।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि आगे योग्यता अंक निर्धारित किए जाएं

साक्षात्कार और प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में प्राप्त,

अर्थात्। , 12 साक्षात्कार में प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम अंक और प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट और इस तरह के मानक तय करने से वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। लिखित परीक्षा, प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट और साक्षात्कार में योग्यता अंक तय करने से वरिष्ठता-सह के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हुआ है।

योग्यता। यह भी माना जाता है कि उच्च पद के कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता का पता लगाने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करना इस अवधारणा का उल्लंघन नहीं है -

वरिष्ठता-सह-योग्यता द्वारा पदोन्नति। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों को खारिज कर दिया जाता है। प्राधिकरण को एक तैयार करने का निर्देश दिया जाता है पदोन्नति के लिए नई चयन सूची और उन उम्मीदवारों के मामले पर विचार करने के लिए जिन्होंने लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत योग्यता अंक प्राप्त किए हैं और साक्षात्कार और प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए क्रमशः 20 अंकों में से प्रत्येक में न्यूनतम 12 अंक प्राप्त किए हैं और [2019] 6 एस. सी. आर.

उन उम्मीदवारों को वरिष्ठता के क्रम में पदोन्नत किया जाना चाहिए, चाहे उनमें से किसी ने भी अधिक अंक प्राप्त किए हों।

[पारस 12,13] [600-बी-जी]

अध्यक्ष, ऋषिकुल्या ग्राम्या बैंक बनाम। बिसावम्बर

पात्रो (2013) 4 एससीसी 376: [2013] 4 एससीआर 239; राजेंद्र

कुमार श्रीवास्तव बनाम। संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(2010) 1 एससीसी 335 [2009] 15 एस. सी. आर. 936 पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[2013] 4 एससीआर 239

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7.3

[2009] 15 एससीआर 936

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7.4

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील Nos.3603

3607 2019 का जबलपुर में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 24.09.2008 से रिट अपील सं। 1508 , 1509 , 1510 , 1511 और 2007 का 1535।

आर. एस. हेगड़े, फरहत जहां रहमानी, राजीव सिंह, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

कुणाल वर्मा, श्रीमती युगांधरा पवार झा, पीयूष भारद्वाज, एम. सी. ढींगरा, विशाल प्रसाद, के. पी. प्रसाद, रितिका सेठी, सतीश विग, शिव सागर तिवारी, सुश्री बबीता झा, एस. के. डे, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था एम. आर. शाह, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. चूंकि अपीलों के इस समूह में कानून और तथ्यों का सामान्य प्रश्न उत्पन्न होता है, और इस तरह वे उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश से उत्पन्न होते हैं, इन सभी अपीलों का निर्णय इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा किया जा रहा है और उनका निपटारा किया जा रहा है।

2.1 ये सभी अपीलें जबलपुर में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय से उत्पन्न होती हैं। (मध्य प्रदेश) रिट अपील संख्या में पारित किया गया। 1510/2007 , 1509/2007 , 1508/2007 , 1511/2007 और 1535/2007, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त अपीलों को खारिज कर दिया, हालांकि, उक्त अपीलों को खारिज करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया और निर्देश दिया कि एक नई चयन सूची तैयार करने के बजाय, प्रतिष्ठान श्रीराम तोमर और अन्य ई. टी. सी. v.

पदोन्नति के लिए नई प्रक्रिया का संचालन करेगा, और आगे निर्देश देगा कि प्रतिष्ठान 100 में से न्यूनतम आवश्यक कट ऑफ योग्यता अंक निर्धारित करने के लिए बाध्य होगा ताकि वरिष्ठता-सह-योग्यता का नियम लागू किया जा सके।

3. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

विवाद जूनियर के पद पर पदोन्नति के संबंध में है।

महाकोशल क्षेत्रीय बैंक में प्रबंधन पैमाना II। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 29 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बैंक और प्रायोजक बैंक, यानी यूको बैंक के परामर्श से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति) नियम, 1998 (जिसे इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) नामक नियम बनाए। कि उक्त नियमों को राजपत्र में 29.07.1998 पर अधिसूचित किया गया था। तीसरा उपरोक्त नियमों की अनुसूची, अन्य बातों के साथ-साथ, दो अलग-अलग श्रेणियों के अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करती है। यह पात्रता के साथ-साथ उसके संबंध में चयन का तरीका भी प्रदान करता है। स्केल II अधिकारियों के संबंध में, यह विशेष रूप से प्रदान किया गया था कि नियुक्ति का स्रोत पदोन्नति द्वारा 100% होगा और पदोन्नति के लिए मानदंड वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर होगा। चयन का वह तरीका यह था कि उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और स्केल I/फील्ड पर्यवेक्षक में अधिकारी के रूप में पिछले पांच वर्षों के लिए 'प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट' के मूल्यांकन के आधार पर एक समिति द्वारा किया जाएगा। अंकों का विभाजन इस प्रकार था:

लिखित परीक्षा

60 निशानियाँ

20 निशानियाँ

साक्षात्कार

निष्पादन मूल्यांकन

20 निशानियाँ

100 निशानियाँ

कुल

3.1 लिखित परीक्षा के संबंध में, यह प्रावधान किया गया है कि उम्मीदवार

दो भागों वाली लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना आवश्यक है। , भाग 'ए' और भाग 'बी'। लिखित परीक्षा के लिए आवंटित 60 अंकों को आगे विभाजित किया गया था।

के रूप में:

भाग 'ए'

30 निशानियाँ

भाग 'बी'

30 निशानियाँ

3.2 उपरोक्त नियमों के अनुसार, केवल उन उम्मीदवारों की सूची जो

प्रत्येक भाग में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक (भाग 'ए' और भाग 'बी') [2019] 6 एस. सी. आर.

तैयार रहें और उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। जहां तक पिछले पांच साल की सेवा के लिए साक्षात्कार और 'प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट' का संबंध है, नियमों के तहत, कोई न्यूनतम योग्यता अंक प्रदान नहीं किए गए थे।

3.3 स्केल I से स्केल II में पदोन्नति के उद्देश्य से प्रतिवादी-बैंक ने 30.03.2004 दिनांकित एक ज्ञापन जारी किया और सभी शाखा प्रबंधकों और मुख्य कार्यालय के सभी विभागों को प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया। ' स्केल I अधिकारियों के 'पिछले पाँच वर्षों' के प्रदर्शन मूल्यांकन विवरण। बैंक ने 12.04.2004 दिनांकित दिशानिर्देशों के अनुसार नियमों के अनुरूप दिशा-निर्देश भी जारी किए।

3.4 स्केल II के उपलब्ध 16 पदों पर स्केल I अधिकारियों की पदोन्नति के लिए, बैंक ने 1 के अनुपात में 64 उम्मीदवारों/अधिकारियों को बुलायाः 4 . लिखित परीक्षा 16.04.2004 पर आयोजित की गई थी और 64 में से 32 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में योग्य घोषित किया गया था, क्योंकि यह पाया गया था कि उन्होंने लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए थे। कि इसके बाद, अपीलार्थी अन्य योग्य उम्मीदवारों (संख्या में 32) के साथ 18/19.09.2004 पर आयोजित साक्षात्कार में उपस्थित हुए। उस 09.10.2004 दिनांकित ज्ञापन के माध्यम से, बैंक ने सफल अधिकारियों/उम्मीदवारों के परिणाम प्रकाशित किए जिन्हें स्केल II पदों पर पदोन्नत किया गया था। कि जिन अपीलार्थियों को वरिष्ठता सूची में भी रखा गया था, उन्हें उनकी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किया गया था, जिन्होंने लिखित परीक्षा में न्यूनतम से अधिक अंक प्राप्त किए थे और साक्षात्कार और प्रदर्शन मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुए थे। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि तीन व्यक्तियों, सुनील कुमार गुप्ता, गोपाल सिंह राज और राजेश कुमार जैन (यहाँ उत्तरदाता), यद्यपि स्केल I अधिकारियों की वरिष्ठता सूची में बहुत छोटे थे, को भी पदोन्नत अधिकारियों की सूची में शामिल किया गया था, जिसे 9.10.2004 दिनांकित ज्ञापन के माध्यम से जारी किया गया था और तीन वरिष्ठ व्यक्तियों, अर्थात् अनिल कुमार सिंह, के. सी. सोनी और एन. के. शर्मा को नजरअंदाज कर दिया गया था। अतः उपरोक्त तीन व्यक्ति, अनिल कुमार सिंह, के. सी. सोनी और एन. के. शर्मा और

एक दूसरे के नाम प्रवीण के. जग्गी ने रिट याचिका संख्या दायर की। 12127 /

2004 , 12125/2004 , 12126/2004 और 11005/2004 ने दिनांकित 09.10.2004 आदेश को चुनौती दी जिसमें उपरोक्त तीन व्यक्तियों, सुनील कुमार गुप्ता, गोपाल सिंह राज और राजेश कुमार जैन को वरिष्ठता सूची में अनिल कुमार सिंह, के. सी. सोनी और एन. के. शर्मा से नीचे रखा गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष, मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मामला था कि स्केल II के पद पर पदोन्नति पूरी तरह से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर थी और नियमों में प्रावधान है कि केवल वही उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और साक्षात्कार और प्रदर्शन मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के लिए कोई न्यूनतम योग्यता अंक प्रदान नहीं किए गए हैं।

3.5 हालांकि, यह बैंक की ओर से मामला था कि प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार, बैंक द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया था। चयन समिति साक्षात्कार के साथ-साथ प्रदर्शन मूल्यांकन (प्रत्येक) में न्यूनतम 12 अंकों का बेंच मार्क निर्धारित करती है और केवल उन उम्मीदवारों को पदोन्नति के लिए विचार करने की आवश्यकता होती है जिन्होंने साक्षात्कार के साथ-साथ प्रदर्शन मूल्यांकन में न्यूनतम 24 अंक प्राप्त किए हैं और तदनुसार वे उम्मीदवार जिन्होंने साक्षात्कार के साथ-साथ प्रदर्शन मूल्यांकन में न्यूनतम 24 अंक प्राप्त किए हैं।

पदोन्नत किया गया। 4. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि इस तरह की प्रक्रिया और साक्षात्कार और प्रदर्शन मूल्यांकन में न्यूनतम 24 अंक प्राप्त करने पर जोर देना नहीं था।

नियमों के तहत प्रदान की गई और इसलिए ऐसी प्रक्रिया प्रशासनिक निर्देशों द्वारा अनुमत नहीं थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि उपरोक्त मानदंड इस सिद्धांत का उल्लंघन करेंगे -

वरिष्ठता-सह-योग्यता और इस तरह के मानदंडों द्वारा योग्यता-सह-वरिष्ठता का सिद्धांत लागू किया जाता है, जो नियमों के विपरीत है। इसलिए, उपरोक्त रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए और दिनांक 1 की सूची को रद्द करते हुए और अलग करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 100 में से न्यूनतम आवश्यक कट ऑफ अंक निर्धारित करके एक नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया ताकि वरिष्ठता-सह-योग्यता का नियम लागू किया जा सके और उसके बाद एक नई चयन सूची तैयार करने के लिए आगे बढ़ सके और आवश्यक न्यूनतम/कट ऑफ अंक निर्धारित करने के बाद अपनी वरिष्ठता के आधार पर न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की फिर से व्यवस्था की जाएगी और तदनुसार बैंक द्वारा पदोन्नति का एक नया आदेश पारित किया जाएगा।

5. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सामान्य विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

न्यायालय, बैंक के साथ-साथ इसमें अपीलकर्ता-मूल उत्तरदाता

विद्वान एकल न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष रिट अपीलों को प्राथमिकता दी। सामान्य विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, खंड पीठ ने न केवल अपीलों को खारिज कर दिया है, बल्कि अपीलों को खारिज करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एक नई योग्यता सूची तैयार करने के लिए जारी निर्देश को दरकिनार कर दिया है और आगे निर्देश दिया है कि 100 में से न्यूनतम आवश्यक कट ऑफ योग्यता अंक निर्धारित करके एक नई चयन सूची तैयार करने के बजाय, बैंक नई कवायद [2019] 6 एस. सी. आर. का संचालन करेगा।

पदोन्नति के लिए। डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि बैंक 100 में से न्यूनतम आवश्यक कट ऑफ योग्यता अंक निर्धारित करने के लिए बाध्य होगा ताकि वरिष्ठता-सह-योग्यता का नियम लागू किया जा सके।

6. उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

अपीलों को खारिज करते हुए और पदोन्नति के लिए नए सिरे से अभ्यास करने का निर्देश देते हुए, मूल अपीलकर्ताओं को डिवीजन बेंच के समक्ष

उच्च न्यायालय (जिन्हें दिनांक 09.10.2004 की सूची/आदेश के अनुसार पदोन्नत किया गया था) ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

7. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आर. एस. हेगड़े ने तथ्यों और परिस्थितियों में दृढ़ता से प्रस्तुत किया है। इस मामले में, खंड पीठ ने पूरे चयन परीक्षण/सूची को रद्द करते हुए और पदोन्नति के नए अभ्यास का आदेश देते हुए कानून और तथ्यों की गंभीर त्रुटि की है।

7.1 अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पदोन्नति के नए अभ्यास का आदेश देने वाले निर्णय और आदेश के खिलाफ अपील में और जब यह डिवीजन बेंच के सामने किसी का मामला नहीं था कि पूरी चयन परीक्षा दूषित कर दी गई है और यहां तक कि यह विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी नहीं थी, तो डिवीजन बेंच पूरी चयन परीक्षा को रद्द नहीं कर सकती थी और/या पदोन्नति के नए अभ्यास का आदेश नहीं दे सकती थी।

7.2 यह आगे अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा दोनों, विद्वान एकल

न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ ने यह देखने और अभिनिर्धारित करने में भौतिक रूप से गलती की है कि मौखिक साक्षात्कार के साथ-साथ प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 12 अंक निर्धारित करके, वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत को मंजूरी दी गई है। 7.3 अध्यक्ष, ऋषिकुल्य ग्राम्या बैंक बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। बिसावम्बर पात्रो ने (2013) 4 एस. सी. सी. 376 में बताया कि यह अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और साक्षात्कार में समग्र प्रदर्शन के आधार पर बेंचमार्क योग्यता मानदंड का प्रिस्क्रिप्शन।

वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति देने के लिए नियमों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अलावा प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट की अनुमति है। 7.4 अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव श्रीराम तोमर और एक अन्य ई. टी. सी. के मामले में।

साक्षात्कार और निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत को विफल कर देंगे और इस प्रकार यह उपरोक्त दो निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है। 7.6 अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी इसे नोट किया जाना आवश्यक है।

कि पदोन्नत 16 उम्मीदवारों में से 13 उम्मीदवार वरिष्ठता सूची में मूल रिट याचिकाकर्ताओं से ऊपर थे और आपत्ति केवल उन तीन व्यक्तियों के संबंध में थी जिन्हें पदोन्नत किया गया था और जो मूल रिट याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अधिक से अधिक विद्वान एकल न्यायाधीश सम्मान के साथ पदोन्नति को रद्द कर सकते थे।

रिपोर्ट, उसके बाद पदोन्नति वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर की जानी है। 8. मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया है।

और प्रस्तुत किया है/किया है कि जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश और उस हद तक विद्वान खंड पीठ द्वारा उचित रूप से देखा गया है कि साक्षात्कार और प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्टों में से प्रत्येक में 12 अंक प्राप्त करने का मानदंड निर्धारित करके, वरिष्ठता-सह-योग्यता के मूलधन को मंजूरी दी गई है। 8.1 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि विज्ञापन में केवल पात्रता मानदंड यह था कि एक उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे और साक्षात्कार और प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए कोई न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं किए गए थे।

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8.2 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए

B.V.Sivaiah v. के. अडांकी बाबू ने (1998) 6 एस. सी. सी. 720 में रिपोर्ट की, और सर्व U.P.Gramin बैंक बनाम के मामले में इस न्यायालय का एक और निर्णय। मनोज कुमार चक ने (2013) 6 एस. सी. सी. 287 में बताया कि वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

9. हमने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है

लंबाई। शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जूनियर मैनेजमेंट स्केल II के पद पर पदोन्नति प्रिंसिपल द्वारा नियंत्रित की जाती है

वरिष्ठता-सह-योग्यता। यह सच है कि नियम के अनुसार और नियम में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुसार, चयन इन आधार पर होगा -

लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और प्रदर्शन मूल्यांकन में प्रदर्शन पिछले पाँच वर्षों के लिए प्रतिवेदन। नियमों के अनुसार 60 अंक आवंटित किए जाते हैं।

लिखित परीक्षा के लिए, साक्षात्कार के लिए 20 अंक और प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए 20 अंक। नियम में आगे यह प्रावधान है कि एक उम्मीदवार होगा लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता होती है, जिसमें दो भाग होते हैं, अर्थात् भाग 'ए' और भाग 'बी'। 60 लिखित परीक्षा के लिए आवंटित अंकों को आगे इस प्रकार विभाजित किया गया है:

भाग 'ए'

30 निशानियाँ

30 निशानियाँ

भाग 'बी'

नियम में आगे कहा गया है कि केवल उन उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी जो प्रत्येक भाग में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं और

उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यह सच है कि नियम साक्षात्कार के साथ-साथ न्यूनतम योग्यता अंक भी प्रदान नहीं करता है। प्रदर्शन मूल्यांकन। हालांकि, उसी समय, प्राधिकरण/चयन समिति ने साक्षात्कार के साथ-साथ प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में 20 अंकों में से प्रत्येक में 12 अंक रखने का बेंचमार्क तय करने का एक सचेत निर्णय लिया। विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ दोनों ने इसमें गलती पाई और कहा कि साक्षात्कार और प्रदर्शन मूल्यांकन में न्यूनतम 12 अंक प्राप्त करने के लिए योग्यता अंक/बेंचमार्क को आगे तय करना गलत नहीं था।

अनुमेय है और यह वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत को पराजित करेगा। इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने 100 में से न्यूनतम आवश्यक योग्यता अंक निर्धारित करके नई पदोन्नति सूची तैयार करने का निर्देश दिया ताकि वरिष्ठता-सह-योग्यता के नियम को लागू किया जा सके।

10. जब उपरोक्त आदेश विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया जाता है

श्री राम तोमर और एक अन्य ई. टी. सी. द्वारा डिवीजन बेंच, डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दी गई थी।

विवादित निर्णय और आदेश, न केवल अपीलों को खारिज कर दिया, बल्कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देशों को भी रद्द कर दिया

100 में से न्यूनतम आवश्यक कट ऑफ योग्यता अंक निर्धारित करके नई चयन सूची और प्रतिष्ठान को पदोन्नति के लिए नई प्रक्रिया आयोजित करने का निर्देश दिया, जिसका अर्थ है कि डिवीजन बेंच ने पूरी चयन सूची को अलग कर दिया। विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा किसी भी निष्कर्ष के अभाव में कि चयन सूची को किसी भी अनियमितता के कारण दूषित किया गया था, खंड पीठ ने पूरी चयन सूची को अलग रखने और पदोन्नति के लिए नए सिरे से अभ्यास का आदेश देना उचित नहीं था।

11. अब जहाँ तक विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष का संबंध है जो योग्यता अंकों को आगे निर्धारित करता है /

साक्षात्कार में न्यूनतम 12 अंक प्राप्त करने का मानदंड और प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट की अनुमति नहीं है और यह हार जाएगा।

वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत का संबंध है, जैसा कि बिसावम्बर पात्रो (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, वही अनुमेय है। यह न्यायालय इसी तरह की स्थिति और जूनियर मैनेजमेंट स्केल I से मिडिल तक पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले समान नियमों पर विचार कर रहा था।

प्रबंधन पैमाना II। इस न्यायालय के समक्ष मामले में, नियम वर्तमान मामले में नियम के समान था। इस न्यायालय के समक्ष नियम में भी, प्रदान किए गए साक्षात्कार के लिए कोई न्यूनतम योग्यता अंक नहीं थे। हालांकि, बैंक ने लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत योग्यता अंकों की आवश्यकता के अलावा सामान्य के लिए 60 प्रतिशत योग्यता अंक निर्धारित किए। लिखित परीक्षा, प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट और साक्षात्कार सहित कुल अंकों पर एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 55 प्रतिशत अंक। इसके बाद कुल मिलाकर 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों के नाम उनकी वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति के लिए सूची में डाल दिए गए। सभी उम्मीदवारों को वरिष्ठता के क्रम में पदोन्नत किया गया, चाहे उनमें से किसी ने भी 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हों।

समग्र में। उम्मीदवार पदोन्नति प्राप्त करने में असफल रहे

चयन सूची को उसी आधार पर चुनौती दी गई जिस आधार पर वर्तमान मामले में चयन सूची को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने रिट की अनुमति दी 60 प्रतिशत अंकों के बेंचमार्क का प्रिस्क्रिप्शन रखने वाली याचिका

एग्रीगेट पदोन्नति नीति और क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन था। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और बैंक को नियमों के अनुसार नए सिरे से चयन करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उलटना, और B.V.Sivaiah (ऊपर) (निर्णय) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के बाद भी जिस पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया है), इस न्यायालय ने कहा कि बैंक द्वारा योग्यता अंक [2019] 6 एस. सी. आर. निर्धारित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया।

लिखित परीक्षा में प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट और साक्षात्कार ने वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया है। ऐसा अवलोकन करते हुए, इस न्यायालय ने राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय के पैरा 13 में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार किया।

12. उपरोक्त दो निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, हमारी राय है कि

दोनों, विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ डिवीजन बेंच ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि योग्यता में प्राप्त किए जाने वाले अंकों को आगे तय किया जाए साक्षात्कार और प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट, अर्थात। , 12 साक्षात्कार और प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रत्येक में प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम अंक

और इस तरह के मानदंड तय करने से वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा

सह-योग्यता। चूँकि जूनियर मैनेजमेंट स्केल II के पद पर पदोन्नति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की जाएगी, केवल आवश्यकता यह होगी कि यह पाए जाने के बाद कि उम्मीदवारों के पास न्यूनतम आवश्यक योग्यता है, अर्थात् लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत योग्यता अंक और साक्षात्कार और प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में क्रमशः 20 अंकों में से प्रत्येक में न्यूनतम 12 अंक हैं, उसके बाद उम्मीदवारों को वरिष्ठता के क्रम में पदोन्नत किया जाना आवश्यक है, चाहे उनमें से किसी ने भी अधिक अंक प्राप्त किए हों।

13. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपीलों की अनुमति दी जाती है। द्वारा पारित निर्णय और आदेश

उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। यह निर्देश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी-प्राधिकरण एक नया आदेश तैयार करेगा।

जूनियर मैनेजमेंट स्केल II के पद पर पदोन्नति के लिए सूची का चयन करें और उन उम्मीदवारों के मामले पर विचार करें जिन्होंने लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत योग्यता अंक प्राप्त किए हैं और साक्षात्कार और प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए क्रमशः 20 अंकों में से प्रत्येक में न्यूनतम 12 अंक प्राप्त किए हैं।

उम्मीदवारों को वरिष्ठता के क्रम में पदोन्नत किया जाना चाहिए, चाहे उनमें से किसी ने भी अधिक अंक प्राप्त किए हों।

14. वर्तमान अपीलों को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी गई है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई।